ऑन लाईन नं. RCMS 2012/00003

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 15/2014

1. मनीराम पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0) जरिये मुखत्यार मोहन लाल वधवा पुत्र श्री मुन्शीराम जाति अरोड़ा निवासी 18 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
2. शिवकुमार पुत्र श्री चोखाराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रामरतन पुत्र श्री शिवकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. हरिनारायण पुत्र शिवकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश छाबड़ा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री कृष्ण लाल गुप्ता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 2 व 4

अपील बनाराजी निर्णय तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर दिनांक 05.09.2022 बाबत बंटवारा सहमति, पत्रावली संख्या :राजस्व/बंटवारा/2002 अनवानी प्रार्थना पत्र शिवकुमार पुत्र चोखाराम एवं रामरतन, हरिनारायण पिसराने शिवकुमार, जिसकी रूह से पैत्रिक कृषि भूमि होना बयान करते हुए पारिवारिक विभाजन मानकर बंटवारा करने के आदेश पारित किये गये, बमुराद मन्सूखियां अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

:: आदेश :: दिनांक :–29.05.2026

अपील अपीलांट निम्न प्रकार है :–

1. यह कि तहसीलदार श्रीगंगानगर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा समस्त सही तथ्यों को छुपाते हुए इस आश्य का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शिवकुमार के नाम से वर्णित कृषि भूमि वाके चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71/61 मुरब्बा नम्बर 45 की 46–47/100 हिस्सा नहरी पैत्रिक भूमि खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिसका प्रार्थी ने आपसी सहमति से अपने पुत्रो के साथ बंटवारा कर लिया है। अतः सलंग्न बंटवारा के अनुसार खाता का विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

माकूल वजूहात

3. यह कि जेर अपील खिलाफ कानून व कायदा निरस्त है, प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है।

4. यह कि आदेश जेर अपील विभाजन हेतु बनाये गये समस्त कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं परस्पर सहमति के आधार पर विभाजन के सम्बन्ध में बने नियमों के विपरीत जाकर पारित किया गया है, इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि को पैत्रिक कृषि भूमि मानकर विभाजन करने का आदेश जेर अपील पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलाधीन कृषि भूमि पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है, वरन् रेस्पोडेन्ट संख्या-1 की स्वअर्जित भूमि थी ऐसी स्थिति में उक्त स्वअर्जित भूमि को पैत्रिक भूमि का रूप देकर विभाजन आदेश एवं आदेश जेर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है, इसलिये आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि सही तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-2 शिवकुमार पुत्र श्री चोखाराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 5 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 45 में किला नम्बर 1 में 7 बिस्वा, 2 में 7 बिस्वा, 2 में 7 बिस्वा, 3 में 7 बिस्वा, 4 में 7 बिस्वा, 8 सालम , 9 सालम, एवं 10 में 18 बिस्वा कुल 4.06 बीघा कृषि भूमि थी। शिवकुमार ने अपनी उक्त भूमि का बेचान अलग-अलग बैयनामाजात से खरीददारान एवं अपीलांट को कर दिया एवं खरीददारान के नाम से रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। जमाबन्दी सम्वत् 2055 की फोटो प्रति संलग्न है। बैयनामा कमी स्टाम्प के कारण इम्पाउन्ड होने के कारण अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया।

7. यह कि शिवकुमार पुत्र चोखाराम के नाम से अंकित भूमि में से भूमि का बेचान होने के उपरान्त शिवकुमार के नाम से 0.568 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शेष रही । जिसमें से शिवकुमार ने चक 5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 9 में से 2.35 बिस्वा अर्थात .030 हैक्टर भूमि का बेचान अपीलान्ट को जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.04.1999 को करके

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी। दुर्भिसन्धि के आधार पर प्राप्त की गयी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए एवं बिना कोई जांच किये, बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये एवं बिना साक्ष्य लिये अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा आदेश जेर अपील दिनांक 05.09.2002 को पारित कर दिया, जिसकी नाराजी से निम्न वजूवात पर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

माकूल वजूवात

3. यह कि जेर अपील खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल है, प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
4. यह कि आदेश जेर अपील विभाजन हेतु बनाये गये समस्त कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं परस्पर सहमति के आधार पर विभाजन के सम्बन्ध में बने नियमों के सर्वथा विपरीत जाकर पारित किया गया है, इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि को पैत्रिक कृषि भूमि मानकर विभाजन करने का आदेश जेर अपील पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलाधीन कृषि भूमि पैत्रिक सम्पति नहीं है, वरन् रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की स्वअर्जित भूमि थी ऐसी स्थिति में उक्त स्वअर्जित भूमि को पैत्रिक भूमि का रूप देकर विभाजन आदेश एवं आदेश जेर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है, इसलिये आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।
6. यह कि सही तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शिवकुमार पुत्र श्री चोखाराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 5 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 45 में किला नम्बर 1 में 7 बिस्वा, 2 में 7 बिस्वा, 2 में 7 बिस्वा, 3 में 7 बिस्वा, 4 में 7 बिस्वा, 8 सालम , 9 सालम, एवं 10 में 18 बिस्वा कुल 4.06 बीघा कृषि भूमि थी। शिवकुमार ने अपनी उक्त भूमि का बेचान अलग–अलग बैयनामाजात से खरीददारान एवं अपीलांट को कर दिया एवं खरीददारान के नाम से रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। जमाबन्दी सम्वत् 2055 की फोटो प्रति सलंग्न है। बैयनामा कमी स्टाम्प के कारण इम्पाउन्ड होने के कारण अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया।
7. यह कि शिवकुमार पुत्र चोखाराम के नाम से अंकित भूमि में से भूमि का बेचान होने के उपरान्त शिवकुमार के नाम से 0.568 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शेष रही । जिसमें से शिवकुमार ने चक 5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 9 में से 2.35 बिस्वा अर्थात .030 हैक्टर भूमि का बेचान अपीलान्ट को जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.04.1999 को करके

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ऑन लाईन नं. RCMS 2012/00003

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 15/2014

1. मनीराम पुत्र श्री बृजलाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज0) जरिये मुखत्यार मोहन लाल बधवा पुत्र श्री मुन्शीराम जाति अरोड़ा निवासी 18 विनोवा बस्ती, श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
2. शिवकुमार पुत्र श्री चोखाराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रामरतन पुत्र श्री शिवकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. हरिनारायण पुत्र शिवकुमार जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश छाबड़ा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री कृष्ण लाल गुप्ता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 2 व 4

अपील बनाराजी निर्णय तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर दिनांक 05.09.2022 बाबत बंटवारा सहमति, पत्रावली संख्या :राजस्व/बंटवारा/2002 अनवानी प्रार्थना पत्र शिवकुमार पुत्र चोखाराम एवं रामरतन, हरिनारायण पिसराने शिवकुमार, जिसकी रूह से पैत्रिक कृषि भूमि होना बयान करते हुए पारिवारिक विभाजन मानकर बंटवारा करने के आदेश पारित किये गये, बमुराद मन्सूखियां अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

:: आदेश :: दिनांक :–29.05.2026

अपील अपीलांट निम्न प्रकार है :–

1. यह कि तहसीलदार श्रीगंगानगर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा समस्त सही तथ्यों को छुपाते हुए इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शिवकुमार के नाम से वर्णित कृषि भूमि वाके चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 71/61 मुरब्बा नम्बर 45 की 46–47/100 हिस्सा नहरी पैत्रिक भूमि खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिसका प्रार्थी ने आपसी सहमति से अपने पुत्रो के साथ बंटवारा कर लिया है। अतः सलंग्न बंटवारा के अनुसार खाता का विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी। दुर्भिसन्धि के आधार पर प्राप्त की गयी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए एवं बिना कोई जांच किये, बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये एवं बिना साक्ष्य लिये अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा आदेश जेर अपील दिनांक 05.09.2002 को पारित कर दिया, जिसकी नाराजी से निम्न वजूवात पर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

<u>माकूल वजूवात</u>

3. यह कि जेर अपील खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल है, प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
4. यह कि आदेश जेर अपील विभाजन हेतु बनाये गये समस्त कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं परस्पर सहमति के आधार पर विभाजन के सम्बन्ध में बने नियमों के सर्वथा विपरीत जाकर पारित किया गया है, इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि को पैत्रिक कृषि भूमि मानकर विभाजन करने का आदेश जेर अपील पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलाधीन कृषि भूमि पैत्रिक सम्पति नहीं है, वरन् रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की स्वअर्जित भूमि थी ऐसी स्थिति में उक्त स्वअर्जित भूमि को पैत्रिक भूमि का रूप देकर विभाजन आदेश एवं आदेश जेर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है, इसलिये आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।
6. यह कि सही तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शिवकुमार पुत्र श्री चोखाराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 5 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 45 में किला नम्बर 1 में 7 बिस्वा, 2 में 7 बिस्वा, 2 में 7 बिस्वा, 3 में 7 बिस्वा, 4 में 7 बिस्वा, 8 सालम , 9 सालम, एवं 10 में 18 बिस्वा कुल 4.06 बीघा कृषि भूमि थी। शिवकुमार ने अपनी उक्त भूमि का बेचान अलग–अलग बैयनामाजात से खरीददारान एवं अपीलांट को कर दिया एवं खरीददारान के नाम से रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। जमाबन्दी सम्वत् 2055 की फोटो प्रति सलंग्न है। बैयनामा कमी स्टाम्प के कारण इम्पाउन्ड होने के कारण अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया।
7. यह कि शिवकुमार पुत्र चोखाराम के नाम से अंकित भूमि में से भूमि का बेचान होने के उपरान्त शिवकुमार के नाम से 0.568 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शेष रही । जिसमें से शिवकुमार ने चक 5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 9 में से 2.35 बिस्वा अर्थात .030 हैक्टर भूमि का बेचान अपीलान्ट को जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.04.1999 को करके

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मौका पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। खरीद की दिनांक से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है एवं आज भी मौका पर अपीलान्ट साधिकार काबिज है।

8. यह कि अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित बैयनामा इम्पाउण्ड हो जोने के कारण वर्ष 2000 में प्रकरण कलैक्टर मुद्रांक से अन्तिम रूप से निर्णित होकर वर्ष 2001 में पंजीबद्ध हुआ। अपीलांट द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गयी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कारणो से समय रहते इन्द्राज नहीं हो पाया एवं भूमि निरन्तर राजस्व रिकॉर्ड में शिवकुमार रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के नाम से दर्ज रही जबकि शिवकुमार एवं अन्य रेस्पोडेन्टान को इस तथ्य का बाखूबी ज्ञान था कि शिवकुमार ने अपनी भूमि में से 2.35 बिस्वा भूमि का बेचान जरिए बैयनामा अपीलांट को किया हुआ है। बैयनामा की प्रति सलंग्न है।

9. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शिवकुमार एवं रेस्पोडेन्टान संख्या 3 ता 4 रामरतन तथा हरिनारायण ने अपराधिक षड़यन्त्र रचकर एवं इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि शिवकुमार द्वारा अपीलान्ट को .030 हैक्टर अर्थात 2.35 बिस्वा भूमि का बेचान किया हुआ है एवं शिवकुमार के नाम से 0.568 हैक्टर भूमि के स्थान पर 0.538 हैक्टर भूमि ही शेष रहती है, गवाहान एवं राजस्व अधिकारीयों के साथ साजिश कर गलत रिकॉर्ड तैयार कर तथा अपीलान्ट को विक्रय की गयी भूमि को अपनी भूमि बताते हुए समस्त भूमि 0.568 हैक्टर को पैत्रिक सम्पति बताकर बिना अपीलांट को सूचित किये शिवकुमार ने समस्त भूमि का विभाजन अपने पुत्रो में अपने जीते जी कर दिया, जबकि इस प्रकार राज्य सरकार को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुद्राक कर का अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। इसलिये भी आदेश जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

10. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के द्वारा आपस में दुर्भिसन्धि कर एवं सही तथ्यों को छुपाते हुए बिना अपीलान्ट को सूचित किये, बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस दिये यकतरफा तौर से अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से सांठ–गांठ कर महज अपीलान्ट की खरीदशुदा कृषि भूमि को हड़पने के आश्य से आदेश जेर अपील पारित करवाया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

11. यह कि अपीलाधीन आदेश दुर्भिसन्धि पर पारित आदेश है जिसमें बावजूद जानकारी के अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया एव ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा विभाजन में अंकित भूमि में से 0.030 हैक्टर भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है एवं कब्जा काश्त में है इसलिये ऐसी स्थिति में आदेश जेर अपील से अपीलान्ट प्रत्यक्षतः प्रभावित एवं क्षुब्ध पक्षकार है तथा अपीलान्ट के विधिक अधिकार प्रभावित हुए है, इसलिये अपीलान्ट अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अनुमति हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से सलंग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

12. यह कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रदत शक्तियों का दुरूपयोग किया जाकर पारित किया गया है जो कि प्रारम्भतः शून्य आदेश है,जिस हेतु अपील प्रस्तुत करने पर मियाद का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है फिर भी अपीलान्ट निवेदन करते है कि अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 रामरतन एवं हरिनारायण द्वारा जबरन अपीलान्ट की भूमि में घुसने का एवं कब्जा करने का प्रयास किया जाने एवं अपीलान्ट की भूमि में चालू रास्ता को बन्द करने के आश्य से मौका पर ईन्टे इत्यादि गिराये जाने पर अपीलान्ट के मुखत्यार मोहन लाल वधवा द्वारा उक्त दिनांक की सांय स्थानीय पुलिस थाना सदर में इत्तला दी गयी एवं अपीलान्ट द्वारा इस सम्बन्ध में जब पूर्ण रूप से तहकीकात की गयी तो अपीलान्ट को ज्ञान हुआ कि रेस्पोडेन्टान द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र रचकर अपीलान्ट को विक्रय की गयी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर शिवकुमार द्वारा हरिनारायण व रामरतन के नाम से अंकित करवा दिया गया है। अपीलांट द्वारा आदेश जेर अपील की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.02.2012 को प्रस्तुत किया लेकिन अपीलांट को आदेश जेर अपील की नकल उपलब्ध नहीं करवायी गयी तथा दिनांक 16.03.2012 को अपीलान्ट का आवेदन नकल देने हेतु राजस्व शाखा में भिजवाया गया एवं दिनांक 20.03.2012 को यह कहते हुए आवेदन पत्र खारिज कर दिया कि पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है अर्थात रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुंचाने के आश्य से अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों , अधिकारीयों द्वारा रिकॉर्ड तक को गायब कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नकल प्राप्त करने के आवेदन पत्र को निरस्त करने के फॉर्म मय रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट ने दिनांक 20.03.2012 को प्राप्त की एवं पटवारी हल्का से इन्तकाल के साथ चस्पा की गयी। आदेश की फोटो प्रति पटवारी से प्राप्त की जाकर आज बिना किसी विलम्ब के अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं है वरन् अपीलान्ट को बिना सुने , बिना नोटिस दिये, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित आदेश जेर अपील है ऐसे शून्य आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। अपील गुणावगुण पर अत्यधिक बल रखती है इसलिये मियाद का बिन्दु गौण है। देरी को क्षमा करवाने बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सलंग्न है। नकल उपलब्ध नहीं करवायी गयी है इसलिये नकल हेतू डिस्पैन्स विद का प्रार्थना पत्र सलंग्न है। रिकॉर्ड प्राप्त होने पर नकल ली जाकर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील दिनांक 05.09.2002 निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट की जरिए बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि की हद तक इन्तकाल अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश पारित किये जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की तरफ से आदेशिका दिनांक 04.06.2012 को वकालतनामा पेश किया गया था। आदेशिका दिनांक 14.12.2012 को अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई के आदेश पारित किये गये है। दिनांक 14.12.2012 से लगातार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही आज दिनांक तक खारिज नहीं की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शिवकुमार पुत्र श्री चोखाराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 5 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 45 में किला नम्बर 1 में 7 बिस्वा, 2 में 7 बिस्वा, 2 में 7 बिस्वा, 3 में 7 बिस्वा, 4 में 7 बिस्वा, 8 सालम , 9 सालम, एवं 10 में 18 बिस्वा कुल 4.06 बीघा कृषि भूमि थी। शिवकुमार ने अपनी उक्त भूमि का बेचान अलग–अलग बैयनामाजात से खरीददारान एवं अपीलांट को कर दिया एवं खरीददारान के नाम से रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि को पैत्रिक कृषि भूमि मानकर विभाजन करने का आदेश जेर अपील पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलाधीन कृषि भूमि पैत्रिक सम्पति नहीं है, वरन् रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की स्वअर्जित भूमि थी ऐसी स्थिति में उक्त स्वअर्जित भूमि को पैत्रिक भूमि का रूप देकर विभाजन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है। शिवकुमार पुत्र चोखाराम के नाम से अंकित भूमि में से भूमि का बेचान होने के उपरान्त शिवकुमार के नाम से 0.568 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शेष रही। जिसमें से शिवकुमार ने चक 5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 9 में से 2.35 बिस्वा अर्थात .030 हैक्टर भूमि का बेचान अपीलान्ट को जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.04.1999 को करके मौका पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। खरीद की दिनांक से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है एवं मौका पर भी अपीलान्ट साधिकार काबिज है। अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित बैयनामा इम्पाउण्ड हो जोने के कारण वर्ष 2000 में प्रकरण कलैक्टर मुद्रांक से अन्तिम रूप से निर्णित होकर वर्ष 2001 में पंजीबद्व हुआ। अपीलांट द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गयी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कारणो से समय रहते इन्द्राज नहीं हो पाया एवं भूमि निरन्तर राजस्व रिकॉर्ड में शिवकुमार रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के नाम से दर्ज रही। जिसकी जानकारी शिवकुमार एवं अन्य रेस्पोडेन्टान को बाखूबी थी कि शिवकुमार ने अपनी भूमि में से 2.35 बिस्वा भूमि का बेचान जरिए बैयनामा अपीलांट

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

को किया हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 शिवकुमार एवं रेस्पोडेन्टान संख्या 3 ता 4 रामरतन तथा हरिनारायण ने अपराधिक षड़यन्त्र रचकर एवं इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि शिवकुमार द्वारा अपीलान्ट को .030 हैक्टर अर्थात 2.35 बिस्वा भूमि का बेचान किया हुआ है एवं शिवकुमार के नाम से 0.568 हैक्टर भूमि के स्थान पर 0.538 हैक्टर भूमि ही शेष रहती है, गवाहान एवं राजस्व अधिकारीयों के साथ साजिश कर गलत रिकॉर्ड तैयार कर तथा अपीलान्ट को विक्रय की गयी भूमि को अपनी भूमि बताते हुए समस्त भूमि 0.568 हैक्टर को पैत्रिक सम्पति बताकर बिना अपीलांट को सूचित किये शिवकुमार ने समस्त भूमि का विभाजन अपने पुत्रो में अपने जीते जी कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील दिनांक 05.09.2002 निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट की जरिए बैयनामा खरीदशुदा कृषि भूमि की हद तक इन्तकाल अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश पारित किये जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील निर्णय तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर दिनांक 05.09.2022 बाबत बंटवारा सहमति, पत्रावली संख्या :राजस्व/बंटवारा/2002 अनवानी प्रार्थना पत्र शिवकुमार पुत्र चोखाराम एवं रामरतन, हरिनारायण पिसराने शिवकुमार, जिसकी रूह से पैत्रिक कृषि भूमि होना बयान करते हुए पारिवारिक विभाजन मानकर बंटवारा करने के आदेश पारित किया गया, के विरूद्व पेश की है। अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पैत्रिक कृषि भूमि बयान कर पारिवारिक विभाजन करने के आदेश जो पारित किये है जबकि उक्त विवादित भूमि स्वअर्जित भूमि है। उक्त विवादित भूमि स्वअर्जित है या पैतृक के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त विवादित भूमि पैतृक सम्पति ना हो। अधिवक्ता अपीलांट का दुसरा कथन कि अपीलांट द्वारा उक्त विवादित भूमि पंजीकृत बैयनामा से खरीद की हुई है। पंजीकृत बैयनामा से अपीलांट द्वारा उक्त विवादित भूमि वाके चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 9 में से 2.35 बिस्वा अर्थात .030 हैक्टर भूमि दिनांक 12.04.1999 को खरीद की गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.09.2002 का है। अपीलांट द्वारा पंजीकृत बैयनामा से दिनांक 12.04.1999 को खरीद किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2002 तक उक्त बैयनामा से विवादित भूमि का इन्द्राज अपने राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करवाया गया था, जब तक राजस्व रिकॉर्ड में खरीद शुदा भूमि का इन्द्राज नहीं करवाया जाता, तब तक अधीनस्थ न्यायालय को उसका ज्ञान होना सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा सहमति के आधार पारित आदेश बंटवारानामा सहमति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जो किया गया है उसमें किसी प्रकार के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश सहमति बंटवारानामा दिनाक 05.09.2002 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)